

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा0प्र0से0,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

समाहर्ता,
सारण, भागलपुर, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, वैशाली एवं खगड़िया।

पटना-15, दिनांक- 29/03/2016

विषय :-

मुख्य शीर्ष 2506-भू-सुधार, उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-101-जोतों और कास्तकारी विनिमयन, उप शीर्ष-0002 बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1961 के अंतर्गत अर्जित अवशेष भूमि के विरुद्ध मुआवजा माँग संख्या-40 विपत्र कोड-एन0 2506001010002 विषय शीर्ष-3302 मुआवजा वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल- 12,40,141/- (बारह लाख चालीस हजार एक सौ एकतालीस) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-361 (8)रा0 दिनांक-21.03.2016 एवं शुद्धि पत्र संख्या-384(8)/रा0 दिनांक-28.03.2016 के आलोक में कुल-12,40,141/- (बारह लाख चालीस हजार एक सौ एकतालीस) रुपये मात्र निम्न रूप से आवंटित की जाती है:-

क्रमांक	जिला का नाम	स्वीकृत राशि (रुपये में)	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	सारण	429403 /-	429403 /-
2	भागलपुर	322638 /-	322638 /-
3	मधेपुरा	285174 /-	285174 /-
4	मुजफ्फरपुर	85335 /-	85335 /-
5	वैशाली	10383 /-	10383 /-
6	खगड़िया	107208 /-	107208 /-
	कुल	12,40,141 /-	12,40,141 /-

(बारह लाख चालीस हजार एक सौ एकतालीस) रुपये मात्र।

- राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में की जायेगी।
- राशि का आवंटन वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 वि0/2 दिनांक-17.04.1998 एवं सं0-396/वि0 दिनांक-24.04.2015 के आलोक में किया जा रहा है।
- राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के द्वारा किया जायेगा।
- राशि के निकासी के समय विपत्र पर ईकाई का कोड, माँग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
- राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।

कृ०पृ०उ०

7. वर्ष 2014-15 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान 2015-16 के बजटीय उपबंध/आवंटन के संबंधित शीर्ष/विषय शीर्ष में प्रावधानिक राशि से किया जा सकता है।

8. यह राशि तृतीय अनुपूरक आगणन द्वारा प्राप्त राशि के अंतर्गत है।

9. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक..... 88 (5) /रा0, पटना- 15, दिनांक- 29/03/2016
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक..... 88 (5) /रा0, पटना- 15, दिनांक- 29/03/2016
प्रतिलिपि :- वित्त विभाग(बजट) बिहार, पटना/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विभागीय प्रशाखा-8 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक..... 88 (5) /रा0, पटना- 15, दिनांक- 29/03/2016
प्रतिलिपि :- सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक..... 88 (5) /रा0, पटना-15, दिनांक- 29/03/2016
प्रतिलिपि :- विभागीय आईटी0मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),

सरकार के संयुक्त सचिव।